



तारीख हुक्म	<p>भालाराम बजाज भागू (अवकील)</p> <p>हुक्म या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज</p> <p>अवकील पत्र भाग्यती त्रिषे, अ. - 31/2022</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए</p>
<p>14.12.2022</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाब फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौर/अन्य कार्य में व्यस्त/ पैटिव में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 14-12-22 को पेश है।</p> <p style="text-align: right;"></p>	
	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण से सम्बन्धित मूल वाद पत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14.12.2022 को पारित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार की जाती है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 16.05.2022 को तादौराने वाद कन्फर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा की निर्णित मूल पत्रावली मूल वादपत्र के हमफिता हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर (सी.डी.ओ.) श्रीमती मुरार (सी.डी.ओ.) सहायक कलक्टर (सी.डी.ओ.) श्रीमती मुरार (सी.डी.ओ.) </p>	